

दी गण

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)

ना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
57/23	53,188 RTA	खेरखजुरिया	छबड़ा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
रामविलास	बनाम	जमना बाई वगै०

कील :- देवेन्द्र कुमार मेहता **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक : ..... 5.12.23 ..... को पेश हो।

13<sup>10</sup>/<sub>23</sub> पत्रावली पूर्व नो लिफ्ट की गई लिखि पर कानपेश हुई। वकील प्रार्थी उपरो प्रतिवादी गणों की तलवी सम्मन प्राप्त है। प्रतिवादी गणों की तलवी देह पुत्र तलवका पेश करें। पत्रावली वाले तलवी/तलवाना दिनांक 8.12.23 को पेश हो।

8-12-23 आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 8-2-24 ... को पेश हो।

रीडर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारां)

30-1-24 पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 18-3-24 ... को पेश हो।

रीडर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारां)

18-3-24 आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 7-5-24 ... को पेश हो।

रीडर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारां)

पत्रावली पेश हुई। ककील वारी उपाय नहीं करी गत भी तलबी हेतु तलवाना पेश नहीं हुआ। पत्रावली काटि तलबी दिनांक 28.4.25 को पेश है।

4.25

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में विनांक 4.6.25 को पेश हो।

रीडर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

4.6.25

पत्रावली पेश हुई। ककील वारी उपाय नहीं करी गत भी तलबी हेतु तलवाना पेश नहीं हुआ। पत्रावली काटि तलबी दिनांक 8.7.25 को पेश है।

8.7.25

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में विनांक 2.6.8.25 को पेश हो।

रीडर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

26.8.25

पत्रावली पेश हुई। ककील वारी उपाय/प्रतिवादी गण की तलबी हेतु तलवाना पेश नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के वर्ष 2023 के प्रतिवादी गण की तलबी हेतु तलवाना पेश नहीं हुआ है। ककील वारी को अंतिम अवसर दिया जाता है। आपका तलवाना पेश नहीं होने पर प्रकरण तलवाना के अभाव के आदेश 9 दिपत 5 CPC अन्तर्गत खारिज पर दिया जाएगा। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 27.8.25 को पेश है।

27.8.25

पत्रावली पेश हुई। ककील वारी उपाय/प्रतिवादी गण की तलबी हेतु तलवाना पेश नहीं हुआ। ककील वारी को अंतिम अवसर दिए जाने के बाद भी तलवाना पेश नहीं हुआ। अतः प्रकरण तलवाना के अभाव के आदेश 9 दिपत 5 CPC अन्तर्गत खारिज किया जाता है। पत्रावली पेशाले सुधार लेकर साखिल फलर है।